

अधिकार न्याय कार्य 2011-12
जने हेतु न्याय सत्रों को निलंबित कर दिया गया है।
ये निलंबित होने का कारण है कि न्याय सत्रों को निलंबित कर दिया गया है।
संचालक द्वारा संचालित किया गया है।

प्रमाणित
अधीनस्थ
निलंबित

5/5/18

मन्दकानर

प्रमाणित
दस्तावेज

पत्रावली पार्श्वगण के अधिवक्ता द्वारा
पार्श्वगण पत्र पेश करने से छान राजस्थान
लोक अदालत व्यवस्था के द्वारा विधि कारण
पेश हुई। पार्श्वगण के अधिवक्ता उपस्थित हैं।
विपक्षी सं 3, 8, 10, 11, 12, 13 का प्रत्यक्ष बयान के
अधिकार नहीं होने से उनके खिलाफ एक
तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी सं 5, 7, 15
का उपस्थित है। पार्श्वगण के पक्ष में अधिवक्ता
निवेदन जारी करने में कोई आपत्ति नहीं
होना उचित किया गया है। पार्श्वगण के
अधिकार उपस्थित हैं। एक तरफा बयान सुन
गया। बयान पर मजबूत किया गया। ग्राम सुरास
तहसील रायपुर के अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता के
विपक्षी पार्श्वगण को उसके कर्तव्य कार्य की
आराजी सं 8। बयान सं 23 हेतु से तदनुसार नहीं
करने तथा प्रत्यक्ष ही उपयोग उपयोग करने
तथा राजस्थान के अधिवक्ता के अधिवक्ता के अधिवक्ता
को अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता
के अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता
पत्रावली अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता
की जाए। का अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता
द्वारा अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता
विधि सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (मीलवाडा)